रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032023-244735
CG-DL-E-28032023-244735

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201]	**नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2023/चैत्र 7, 1945**
No. 201]	**NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2023/CHAITRA 7, 1945**

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान

(कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 के तहत गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2023

सं. 1 आई.सी.एस.आई / 2023,.—जबकि, कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (''अधिनियम,'') की धारा 4(3), 5(3), 6(2), 19(4), 20(3) कम्पनी सचिव विनियम, 1982 (''विनियम'') के साथ पठित विनियम 6,10,13 और 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संस्थान की परिषद् ने सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले शुल्क में संशोधन किया है।

और जबकि भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करने और गो–ग्रीन पहलों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद् ने यह निर्णय लिया कि, संस्थान के सदस्यों को चार्टर्ड से क्रेट्री जर्नल (सीएसजे) की भौतिक प्रतियां प्राप्तन करने का विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा जिसके माध्यम से उनकी मौजूदा सदस्यता शुल्क में कमी आ जाएगी।

और जबकि, परिषद् ने 01 अप्रैल, 2023 से कम्पनी सचिव विनियम, 1982 के विनियम 10(1) के अनुसार 'पीसीएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम' के अनिवार्य संचालन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है और पीसीएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फीस सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) फीस का हिस्सा होगी।

और जबकि, परिषद् ने यह भी निर्णय लिया है कि नव प्रवेशित एसोसिएट सदस्यों को पहले दो वर्षों (नामांकन के वर्ष सहित) के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क और वार्षिक सीओपी शुल्क में 1 अप्रैल, 2015 और उसके बाद से दी गई रियायत 1 अप्रैल, 2023 से समाप्त हो जाएगी। 1 अप्रैल, 2023 यानी वित्तीय वर्ष 2023-24 से।

और जबकि, परिषद् ने अधिनियम की धारा 4(3) और 5(3) के साथ पठित विनियम 6(1) और 6(2) के तहत एसोसिएट और फेलो सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदकों द्वारा देय प्रवेश शुल्क को भी संशोधित किया है और इसलिए, परिषद् ने 1 अप्रैल, 2023 से सदस्यों के लिए निम्नलिखित शुल्क संरचन बनाई है:–

ब्यौरे	एसीएस		एफसीएस	
	शुल्क (31 मार्च, 2023 तक)	संशोधित शुल्क (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी)	शुल्क (31 मार्च, 2023 तक)	संशोधित शुल्क (1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी)
वर्षिक सदस्यता शुल्क	Rs.2500/- Rs.1500/- (जैसा लागू हो)	Rs. 2500/-	Rs. 3000/-	Rs. 3000/-
वर्षिक सदस्यता शुल्क (चार्टर्ड सेक्रेट्री जर्नल की भौतिक प्रतियां प्राप्त न करने का विकल्प चुनने के बाद)	NA	Rs. 2000/-	NA	Rs. 2500/-
प्रवेश शुल्क(एसोसिएट और फेलो सदस्यता के लिए लागू)	Rs.2000/-	Rs. 3000/-	Rs.2000/-	Rs. 3000/-
प्रवेश शुल्क(एसोसिएट और फेलो सदस्यता बहाली के लिए लागू)	Rs.2000/-	Rs. 2000/-	Rs. 2000/-	Rs. 2000/-
बहाली शुल्क	Rs.250/-	Rs. 250/-	Rs. 250/-	Rs. 250/-
सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (सीओपी) के लिए वार्षिक शुल्क	Rs.2000/ Rs.1500/- (जैसा लागू हो)	Rs. 2000/- (पीसीएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए शुल्क सहित)	Rs. 2000/-	Rs.2000/- (पीसीएस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए शुल्क सहित)

भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान की परिषद के आदेशानुसार,

सी. एस. आशीष मोहन, सचिव, आईसीएसआई

[विज्ञापन-III/4/असा./727/2022-23]

THE INSTITUTE OF COMPANY SECRETARIES OF INDIA

(Constituted under the Company Secretaries Act, 1980)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2023

No. ICSI/01 of 2023.—WHEREAS, the Council of the Institute, in exercise of powers conferred under Section 4(3), 5(3), 6(2) 19(4) and 20(3) of the Company Secretaries Act, 1980 (“Act”) read with Regulation 6, 10, 13 and 14 of the Company Secretaries Regulations, 1982 (“Regulation”) has revised the fees payable by Members.

And Whereas the Council in order to support the digital India initiative of the Government of India and in furtherance of the Go-Green initiatives, decided that, the Members of the Institute shall be given an opportunity for opting out from receiving the physical copies of the Chartered Secretary Journal (CSJ) by way of reduction in the existing Membership Fees.

And Whereas, the Council accorded its approval for conducting the mandatory ‘PCS Orientation Programme’ pursuant to Regulation 10(1) of the Company Secretaries Regulations, 1982, with effect from 01st April, 2023 and that the fees for the PCS Orientation Programme shall form part of the Certificate of Practice (CoP) fees.

And Whereas, the Council also decided that, the concession extended w.e.f.. 1st April, 2015 and thereafter, to the newly admitted Associate Members in Annual Membership Fees and Annual CoP fees for the first two years (including the year of enrolment) shall stand discontinued w.e.f. 1st April, 2023 i.e. from Financial Year 2023-24.

And Whereas, the Council also revised the Entrance Fees payable by the applicants for admission as Associate and Fellow Member under Sections 4(3) and 5(3) of the Act, read with Regulations 6(1) and 6(2) respectively.

And, Now therefore, the Council has made the following fees structure for Members with effect from 1st April, 2023:-

PARTICULARS	ACS		FCS	
	Fees (upto 31st March, 2023	Revised fees (w.e.f. 1st April, 2023)	Fee (upto 31st March, 2023	Revised fees (w.e.f. 1st April, 2023)
Annual Membership fees.	Rs. 2500/- / Rs. 1500/- (as applicable)	Rs. 2500/-	Rs. 3000/-	Rs. 3000/-
Annual Membership fees. (Opting out to receive the physical copy of Chartered Secretary Journal)	NA	Rs. 2000/-	NA	Rs. 2500/-
Entrance fees (Application for Associate and Fellow Membership)	Rs. 2000/-	Rs. 3000/-	Rs. 2000/-	Rs. 3000/-
Entrance fees (Restoration of Associate and Fellow Membership)	Rs. 2000/-	Rs.2000/-	Rs. 2000/-	Rs. 2000/-
Restoration fees	Rs. 250/-	Rs. 250/-	Rs. 250/-	Rs. 250/-
Annual Fees for Certificate of Practice	Rs. 2000/- / Rs. 1500/- (as applicable)	Rs. 2000/- (Inclusive of fees for PCS Orientation Programme)	Rs. 2000/-	Rs. 2000/- (Inclusive of fees for PCS Orientation Programme)

By Order of the Council of the Institute of Company Secretaries of India,

C.S. ASISH MOHAN, Secy., ICSI

[ADVT.-III/4/Exty./727/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA